न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या–104/2013
चन्देश्वर प्रसाद तिवारी –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
21/03/2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद आवेदक चन्देश्वर प्रसाद तिवारी, पिता–स्व0 ठाकुर प्रसाद तिवारी, वर्तमान अध्यक्ष हरपुर पैक्स, प्रखंड–सिंहवाड़ा थाना–सिमरी, जिला–दरभंगा की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 51 दिनांक 13.05.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद को प्रतिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी है, जो प्राप्त है तथा अभिलेख पर संधारित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा पूर्णतः कानून के विपरीत एवं बगैर कारण पृच्छा प्राप्त कराये बिना आवेदक की अनुमति को रद्द कर दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध सिमरी थाना कांड संख्या–44/2013 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सिंहवाड़ा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी है। साथ ही लक्ष्मी ठाकुर एवं तिलकेश्वर तिवारी को भी उक्त कांड में नामित किया गया है। इनका यह भी कहना है कि सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–44/13 में 39 लीटर किरासन तेल टायर गाड़ी में लदा हुआ था। शत्रुघ्न साह की चाय दुकान के पास कृष्णदेव यादव एवं कमलेश यादव खड़ा था। उन्होंने देखा कि टायर गाड़ी पर किरासन तेल लक्ष्मी ठाकुर द्वारा जेनरेटर में उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त किरासन तेल पैक्स अध्यक्ष हरपुर विक्रेता से लिया हूँ। इनका यह भी कथन है कि पणन पदाधिकारी द्वारा हरपुर पैक्स की दुकान का जाँच किया गया तथ भंडार सही पाया गया। उक्त दर्ज वाद पूर्णतः गलत ढ़ंग से राजनैतिक दबाव के कारण लगायी गयी है। पणन पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः गलत ढ़ंग से दर्ज वाद की स्पष्ट रूप से की गयी है, जो आवेदक के ऊपर गलत ढ़ंग से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उक्त कांड दर्ज की गयी है। इनका यह भी कथन है कि दफा 31 बिहार व्यवसायिक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम दर्ज किये जाने के पूर्व कारण–पृच्छा पूछकर अनुज्ञापन पदाधिकारी की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र सं0–4741 दिनांक 03.12.1996 संलग्न है। इनका यह भी कथन है कि पुलिस उपाधीक्षक, सदर दरभंगा द्वारा जाँच हेतु पत्रांक 1727 दिनांक 20.05.2017 को पुलिस जाँचकर्त्ता द्वारा बताया गया जो विक्रेता के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का संबंध	

अच्छा नहीं है। किरासन तेल का गलत ढ़ंग से आरोप लगाया गया है कि बिक्री की गयी है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के दुकान की भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की जाँच की गयी, जिसमें भंडार पंजी पूर्ण रूपेण सही मात्रा में पायी गयी है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक द्वारा किसी अन्य न्यायालय में अपील दायर नहीं किया गया है। विज्ञ अधिवक्ता पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलवाद स्वीकृत करने हेतु अनुरोध करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश सही है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अभिलेख पर संधारित निम्न न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी के स्पष्टीकरण पर युक्तियुक्त विचार नहीं किया गया है, जो प्रक्रियात्मक विधि एवं बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की कंडिका 27(ii) में सन्निहित प्रावधान के विपरीत है।

अतः सम्यक रूप से विचारोपरान्त, न्यायहित में अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 51 दिनांक 13.05.2013 को निरस्त किया जाता है तथा यह निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी के स्पष्टीकरण एवं उल्लिखित बिन्दुओं की सम्यक विवेचना कर दो माह के अन्दर मुखर आदेश पारित करें।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।